पत्र सं0-61/2021/883/23-12-2021-22/2021

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ: दिनांक 10 दिसम्बर, 2021

विषयः-विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत हमीरपुर-राठ-गुरसराय-झांसी मार्ग के (मिसिंग लिंक) चैनेज 74.550 किमी0 से 110.360 किमी0 तक (लम्बाई 35.882 किमी0) के उच्चीकरण कार्य से सम्बन्धित प्रारम्भिक प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, बाह्य सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्रांक-167EAP/TC/UPCRNDP/CEEAP/17, दिनांक 15.01.2021, पत्र सं0-911ईएपी/1-02/ यू0पी0सी0आर0एन0डी0पी0/सी0ई0ई0ए0पी0/2021, दिनांक 22.03.2021 एवं पत्रांक-2604ईएपी/1-02/यू0पी0सी0आर0एन0डी0पी0/सी0ई0ई0ए0पी0/2021, दिनांक 02.11.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत हमीरपुर-राठ-गुरसराय-झांसी मार्ग के (मिसिंग लिंक) चैनेज 74.550 किमी0 से 110.360 किमी0 तक (लम्बाई 35.882 किमी0) के उच्चीकरण कार्य के सम्बन्ध में क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यों हेतु श्री राज्यपाल रू0 24769.29 लाख (रूपये दो अरब सैंतालिस करोड़ उनहत्तर लाख उन्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 100.00 लाख (रूपये सौ लाख मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी तथा विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित करेंगें कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा ही जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2- 23/दस-2011-11(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2011-11(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक- ''1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली'' में जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्श सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(9) विभाग द्वारा विश्व बैंक की गाइड लाइन्स तथा भारत सरकार की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी0-3/2021/बी-1-325/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2(9)(ग) के प्राविधानुसार अवशेष धनराशि की आगामी किश्ते शासन स्तर से निर्गत की जायेंगी।

(12) प्रश्नगत परियोजना पर निर्माण कार्य तभी प्रारम्भ कराया जाय जब इस परियोजना के लिये विश्व बैंक/ भारत सरकार से ऋण उपलब्ध कराये जाने की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो जाय।

(13) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन एवं उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(14) प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत अंश उपयोग होने और कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात् प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 लखनऊ द्वारा प्रायोजना की द्वितीय किश्त स्वीकृत करने का प्रस्ताव, उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं संगत अभिलेखों सहित अपनी सुस्पष्ट संस्तुति के साथ शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(15) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गई है। विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(16) प्रायोजनान्तर्गत सोशल रिसेटिलमेंट एवं रिहैब्लिटेशन हेतु रू0 5458.98 लाख के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया है, विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर स्वयं के उत्तरदायित्व पर सुनिश्चित किया जाये।

(17) यूटिलिट शिफ्टिंग हेतु (विद्युत एवं वन विभाग) रू0 278.70 लाख के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। विभाग द्वारा उक्त कार्य मदों का विस्तृत आगणन गठित कराकर तथा सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(18) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत् मानते हुए लागत का अनुमोदन प्रदान किया गया है। विभाग द्वारा मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-05 -अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-97-बाह्य सहायतित परियोजनायें-02-विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-8-2611-दस-2021-2022, दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

संख्या-61/2021/883(1)/23-12-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री/मा0 लोक निर्माण मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (परीक्षा-लेखा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त्/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- नोडल अधिकारी, बजट आंवटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्त, वाहय सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- वित्त नियन्त्रक,लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
11- लोक निर्माण अनु0-10
12- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, नवीन भवन सचिवालय, लखनऊ।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।